

Diary
No.

Continuation Note Sheet

Gen. No. 13

15.01.2020

प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता ने स्वयं उपस्थित होकर निवेदन किया कि अनवानी विविध प्रार्थना पत्र को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। इसलिए लोक अदालत की भावना से अपने विविध प्रकरण को प्रार्थी इसी स्टेज पर दाखिल दफतर करवाना चाहता है। साथ ही प्रार्थी के अधिवक्ता ने नोटप्रेस कर प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं करने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा नोटप्रेस करने के कारण, हस्तगत विविध प्रकरण नोटप्रेस में खारिज किया जाता है। आदेशिका की प्रति सम्बन्धित तहसीलदार को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश सुनाया गया।

amp
15.1.20

Not Press
C/S
15.1.2020
(93-4 101/107)